न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 82/2017

निर्णय दिनांक– 25.06.2019

उनवान

बद्री पुत्र लाला जाति मीना निवासी गुमानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–वादी

बनाम

1.बाबू पुत्र पांचू जाति मीना निवासी कोलासपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2.हंसराज पुत्र पांचू जाति मीना निवासी कोलासपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3.मीना पुत्री पांचू जाति मीना निवासी कोलासपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री पी0सी0जैन वकील वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि खाता संख्या 23 आराजीयात ख0न0 34, 36, 57, 58, 62, 88, 144, 167, 181, 182, 199, 200, 208, 225, 230 कुल किता 15 कुल रकबा 15.99 है0 वाके ग्राम गुमानपुरा तहसील उनियारा वादी के पिता लाला के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। वादी के पिता का देहान्त हो गया है तथा लाला के वादी एक मात्र पुत्र संतान है। वादी अपनें पिता के जीवनकाल से ही उक्त वर्णित आराजीयात पर तन्हा कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता का देहान्त हो जाने के बाद फोती का नामान्तरकरण गलत रूप से उनकी पुत्रीयों पाली व रामू के नाम भी खोल दिया गया। जबकि लाला की विरासत अकेले वादी के नाम ही अंकित करनी चाहिये थी। पक्षकारान मीना जाति के सदस्य है, जिनमे हिन्दु उत्त्राधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा मृतक खातेदार के पुत्र होने संतान होने से उसकी पुत्रीयों को विरासत का अधिकार प्राप्त नही होता है। तहसीलदार द्वारा कानून के विपरीत जाकर विरासत के नामान्तररण मे लाला की पुत्रीयों का नाम गलत रूप से अंकित कर दिया। प्रतिवादी न0 1 ता 3 लाला की पुत्री पाली के वारीसान है। पाली पुत्री लाला का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 का उक्त वर्णित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है, ना ही उनका हित है। प्रतिवादी न0 1 ता 3नाजायज फायदा उठाकर पाली के स्थान पर अपना नाम अंकित करवाने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

यह है कि वादी की अधियाचना है कि यह घोषणा की जावे कि खाता संख्या 23 आराजीयात ख0न0 34, 36, 57, 58, 62, 88, 144, 167, 181, 182, 199, 200, 208, 225, 230 कुल किता 15 कुल रकबा 15.99 है0 वाके ग्राम गुमानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक वादी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात मे से पाली पुत्री लाला का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी के नाम तन्हा दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे फोती के नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज नही करावे तथा प्रतिपक्षी न0 4 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिपक्षी न0 1 ता 3 के नाम नामान्तरकरण नही भरे अर्थात राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज नही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण न0 1 ता 3 के बावजूद सूचना उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 21.12.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान, पी.डब्लू. 1 ब्रदी , पी.डब्लू. 2 कमलेश व पी.डब्लू. 3 किशोर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 प्रदर्श 5, नकल नामान्तरकरण सं0 21 प्रदर्श 6 पेश किये है।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी वकील ने बहस मे कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता लाला के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। वादी के पिता के वादी ही एक मात्र पुत्र संतान है। वादी अपनें पिता के समय से ही वादग्रस्त आराजीयात पर तन्हा कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद फोती का नामान्तरकरण गलत रूप से उनकी पुत्रीयों पाली व रामू के नाम भी खोल दिया गया। जबकि लाला की विरासत अकेले वादी के नाम ही अंकित करनी चाहिये थी। पक्षकारान मीना जाति के सदस्य है, जिनमे हिन्दु उत्त्राधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा मृतक खातेदार के पुत्र होने संतान होने से उसकी पुत्रीयों को विरासत का अधिकार प्राप्त नही होता है। तहसीलदार द्वारा कानून के विपरीत जाकर विरासत के नामान्तररण मे लाला की पुत्रीयों का नाम गलत रूप से अंकित कर दिया। प्रतिवादी न0 1 ता 3 लाला की पुत्री पाली के वारीसान है। पाली पुत्री लाला का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 का उक्त वर्णित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है, ना ही उनका हित है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 नाजायज फायदा उठाकर पाली के स्थान पर अपना नाम अंकित करवाने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है।यह घोषणा की जावे कि खाता संख्या 23 आराजीयात ख0न0 34, 36, 57, 58, 62, 88, 144, 167, 181, 182, 199, 200, 208, 225, 230 कुल किता 15 कुल रकबा 15.99 है0 वाके ग्राम गुमानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक वादी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात मे से पाली पुत्री लाला का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी के नाम तन्हा दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे फोती के नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज नही करावे तथा प्रतिपक्षी न0 4 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिपक्षी न0 1 ता 3 के नाम नामान्तरकरण नही भरे अर्थात राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 6 नकल नामान्तरकरण संख्या 21 ग्राम गुमानपुरा वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण लाला के फोत होने के बाद उसके वारिसान बदरी पिता लाला जाति मीणा व रामू पाली पुत्रियां लाला मीणा सा0 देह के नाम केम्प ककोड मे तहसीलदार उनियारा द्वारा बाद जांच स्वीकृत किया गया है। प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम गुमानपुरा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 34, 36, 57, 58, 62, 88, 144, 167, 181, 182, 199, 200, 208, 225, 230 कुल किता 15 कुल रकबा 15.99 है0 पाली पुत्री लाला हिस्सा 1/3, बद्री पुत्र लाला हिस्सा 1/3, रामू पुत्री लाला हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात लाला की मृत्यु हो जाने के बाद उसके सही वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की गई है। वादग्रस्त आराजीयात की अकेले वादी ही अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी नही है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)
उनवान

बद्री पुत्र लाला जाति मीना निवासी गुमानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादी

बनाम

1.बाबू पुत्र पांचू जाति मीना निवासी कोलासपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2.हंसराज पुत्र पांचू जाति मीना निवासी कोलासपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3.मीना पुत्री पांचू जाति मीना निवासी कोलासपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 82 वर्ष 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सन्तोष कुमार मीना आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी0सी0जैन वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी खारिज किया जाता है। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner